उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :*ukmssbdun@gmail.com*; Website : ***www.ukmssb.org***, Phone : ***0135-2665366***(O)

विज्ञप्ति संख्याः 37/2026 दिनांकः 29 जुलाई, 2026

नर्सिंग अधिकारी परीक्षा–2025 (चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत)

चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरूष) डिप्लोमाधारक/डिग्रीधारक के रिक्त 587 पदों (बैकलॉग सहित) पर आयोजित लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजिका सम्बन्धी विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2026 (शनिवार) समय प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक आयोजित नर्सिंग अधिकारी (डिप्लोमाधारक) महिला/पुरुष पदकोड 301 एवं 303 एवं दिनांक 26 जुलाई 2026 (रविवार) समय प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक आयोजित नर्सिंग अधिकारी (डिग्रीधारक) महिला/पुरुष पदकोड 302 एवं 304 की लिखित परीक्षा के चारों प्रश्न पत्र की उत्तर कुजियों (A,B,C&D) को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.ukmssb.org पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रसारित कर दिया गया है, जो दिनांक **29 जुलाई, 2026 सांय 08.00 बजे** से बोर्ड की उक्त आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रश्न पत्र की चारों सीरीज के किसी उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है, तो वह ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाईन आपत्ति दर्ज करने हेतु अभ्यर्थी को उनके पंजीकरण पोर्टल (Registration Portal) पर पंजीकरण संख्या (Registration Number) तथा पासवर्ड अंकित कर लॉग–ईन करना होगा। इसके उपरान्त ऑनलाईन उत्तर कुंजी आपत्ति पोर्टल (Answer Key objection) में प्रश्न पत्र सैट तथा प्रश्न संख्या चयनित कर साक्ष्य सहित उत्तर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। शासन के पत्र संख्या 191689/XXVIII–1/2024/E.No.–67456, दिनांक 19 फरवरी 2024 द्वारा अभ्यर्थी किसी प्रश्न के उत्तर में आपत्ति दर्ज करने हेतु शुल्क के रुप में प्रति प्रश्न रु0 50.00 ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी शुल्क जमा नहीं करते हैं तो उनकी दर्ज की गई आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी प्रश्न पत्र के किसी भी प्रश्न में आपत्ति **दिनांक 01 अगस्त, 2026 रात्रि 23.59.59 तक** दर्ज कर सकते हैं। प्रश्न पत्र के उत्तर में आपत्ति मात्र ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जायेगी, अन्य किसी माध्यम से दर्ज आपत्ति मान्य नहीं होगी।

ह0/–
(प्रदीप जोशी)
सचिव